

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, विजीलियों, जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

संख्या - 2811/22

तारीख 21/11/22

- 1- कल्याण पुत्र सारंग जाति बजारा, उम वयस्क निवासी गोरखनपुरा तहसील विजीलियों जिला भीलवाड़ा (राज0)
- 2- पुत्र पुत्र सारंग जाति बजारा, उम वयस्क निवासी गोरखनपुरा तहसील विजीलियों जिला भीलवाड़ा (राज0)
- 3- राजू पिता रता अती बजारा उम वयस्क निवासी गोरखनपुरा तहसील विजीलियों जिला भीलवाड़ा (राज0) —प्रार्थीमान

बनाम

- 1- सुनी पिता रामु जाति बजारा उम वयस्क निवासी गोरखनपुरा तहसील विजीलियों जिला भीलवाड़ा (राज0)
- 2- सुनी पति मेवा जाति बजारा, उम वयस्क निवासी गोरखनपुरा तहसील विजीलियों जिला भीलवाड़ा (राज0)
- 3- सुतान पुत्र कुमाल जाति बजारा, उम वयस्क निवासी गोरखनपुरा तहसील विजीलियों जिला भीलवाड़ा (राज0) —विपक्षीयमान

प्रार्थनापत्र अर्नामत धारा 11-128 रा0ले0रे0 एक्ट

-आदेश-

दिनांक


प्रार्थनापत्र नयी की पुरान में जसिने अर्नामत धारा 11-128 के अंतर्गत आता है। श्री ओमप्रकाश शर्मा, हर्षवर्धन शर्मा प्रस्तुत कर विवेचन किया है कि मेरे एका/नयुक्त जगत सि सुनि भोजा धाम गोरखनपुरा, पटवार क्षेत्र भीलवाड़ा मु-अभिलेख निम्नलिखित क्षेत्र विजीलियों जिला तहसील विजीलियों में स्थित छाता संख्या 12 अर्नामती नंबर 73 रकबा 0.3480 हेक्टेयर, अर्नामती नंबर 74 रकबा 0.8013 हेक्टेयर कुल अर्नामती 2 रकबा 1.1493 हेक्टेयर भूमि स्थित है। विपक्षीयमान अपने दिन संख्या दिनांक 08/11/22 पर अर्नामत धारा 11-128 के अंतर्गत आता है। अतः पत्थरगदी का आदेश प्रदान करना जारी रखने में प्रार्थनापत्र को सपोर्ट में प्रार्थनापत्र संलग्न है।

प्रार्थनापत्र उक्त संख्या पर विधान अधिकारी की बहस सुनी गयी और पत्थरगदी का आदेश प्रदान किया गया।

पत्थरगदी में संलग्न अर्नामत धारा 11-128 के अंतर्गत आता है। प्रार्थनापत्र को सपोर्ट करने का आदेश प्रदान किया गया है। अर्नामत धारा 11-128 के अंतर्गत आता है। पत्थरगदी से किसी भी स्थिति में कोई भी अर्नामत धारा नहीं प्रदान है।

अतः प्रार्थनापत्र अर्नामत धारा 11-128 के अंतर्गत आता है। प्रार्थनापत्र को सपोर्ट करने का आदेश प्रदान किया गया है। अर्नामत धारा 11-128 के अंतर्गत आता है। पत्थरगदी से किसी भी स्थिति में कोई भी अर्नामत धारा नहीं प्रदान है।

प्रार्थनापत्र अर्नामत धारा 11-128 के अंतर्गत आता है। प्रार्थनापत्र को सपोर्ट करने का आदेश प्रदान किया गया है। अर्नामत धारा 11-128 के अंतर्गत आता है। पत्थरगदी से किसी भी स्थिति में कोई भी अर्नामत धारा नहीं प्रदान है।



उपखण्ड अधिकारी
विजीलियों, भीलवाड़ा
दिनांक 21/11/22